कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,काढ़ागोला।

(Email ID- eeflood.karhagola@gmail.com)

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 01/2026–27

पत्रांक................/ काढागोला दिनांक ..../......../2026

सेवा प्रदाता से बाढ़ मोबाईल एम्बुलेंस (ट्रैक्टर के साथ पोर्टेबल जेनरेटर एवं हैलोजन लाईट) बाढ़ अवधि 2026 के दौरान तटबंधों के सुरक्षा हेतु दर निर्धारण के लिये कोटेशन आमंत्रित की जाती है जिसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल काढ़ागोला अन्तर्गत कारी कोशी तटबंध/पुराना काश तटबंध/काश तृतीय निवृत रेखा तटबंध/के0जे0 पंचम निवृत रेखा तटबंध /जरलाही द्वितीय निवृत रेखा तटबंध/बरांडी दायाँ एवं बाँया तटबंध/ गुमटी टोला लिंक बाँध के बीच अतिआक्राम्य/ आक्राम्य स्थलों पर आवश्यकतानुसार जरूरत पडने पर बाढ़ मोबाईल एम्बुलेंस (ट्रैक्टर के साथ पोर्टेबल जेनरेटर एवं हैलोजन लाईट) स्थापित कर बालू भरे बोरे, खाली बैग, नायलन क्रेट, खाली जियो बैग, बालू, गिट्टी इत्यादि के साथ मजदूरों को रखकर क्षेत्रान्तर्गत ले जाने एवं वहाँ आवश्यक कार्य कराने हेतु चौबीसों घंटे तैयार रहना ट्रैक्टर, जेनरेटर एवं हैलोजन लाईट निम्न प्रकार से होना चाहिए–

1. **विवरण**

   (क) टैक्टर– 35 HP का न्यूनतम

   (ख) पोर्टेबल जेनरेटरः– 3 KVA

   (ग) हैलोजन लाईटः– कार्य के लिए पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। कम से कम 500 W का 4 अदद, एवं प्रत्येक रोशनी हेतु 30 मीटर लम्बाई की तार सहित।

2. सेवा प्रदाता से आईडल अवधि एवं कार्यकारी अवधि के दर की उपेक्षा की जाती है।

   (क) आईडल दरः–

   (ख) कार्यकारी दरः–

3. **मुल्याकंन :–**

   दर उद्धरण का मूल्यांकन निम्नांकित फार्मूला से किया जायेगा–

   $a \times 0.3 + b \times 0.7$, जहाँ a आईडल दर है एवं b कार्यकारी दर है।

4. **शर्तेः–**

   (क) सेवा प्रदाता का निबंधन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार के अन्तर्गत बाढ़ 2026 के कार्यों हेतु नामांकण होना चाहिए।

   (ख) सेवा प्रदाता का निबंधन, पैन कार्ड होना चाहिए।

   (ग) आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

   (घ) टैक्टर एवं जेनरेटर हमेशा चालू स्थिति में रहना चाहिए अन्यथा खराब होने पर देय दर के दोगुने दर से वसूली की जायेगी।

   (ङ) सभी कार्यों का भुगतान लॉग बुक प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा।

   (च) अधोहस्ताक्षरी को निर्धारित अवधि के पूर्व भी वाहन/बाढ़ मोबाइल एम्बुलेंस स्थल से हटाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

   (छ) मशीनरी का उपयोग नही होने की स्थिति में आईडल दर पर भुगतान किया जायेगा। आईडल अवधि अधिकतम 12 घंटे की होगी।

5. कोटेशन प्राप्ति की तिथिः– 01.06.2026 से 04.06.2026 समय अपराह्न 03:00 बजे तक।

6. कोटेशन प्राप्ति का स्थानः–

   (क) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला

   (ख) अधीक्षण अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार

   (ग) मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार

7. यह अल्पकालीन कोटेशन दर निर्धारण के लिये आमंत्रित किया जा रहा है।
8. कोटेशन के लिफाफे पर एजेंसी/आपूर्तिकर्त्ता का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाईल अंकित किया जाना है।
9. कोटेशन दाता के द्वारा कोटेशन मुहरबंद लिफाफा में समर्पित किया जाना है।
10. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी स्तर पर कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. कोटेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये अधोहसताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में अथवा दूरभाष संख्या 7463889260 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0 -
(ई0 सुशांत शेखर)
कार्यपालक अभियंता
बाढ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला

पत्रांक 1061 / काढागोला, दिनांक 21/05/2026

प्रतिलिपिः— सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को ई–मेल के माध्यम से समाचार पत्रों एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ समर्पित।

21/05/26
(ई0 सुशांत शेखर)
कार्यपालक अभियंता
बाढ नियंत्रण प्रमंडल, काढागोला
21/5/26